संख्या-02/2018/09/84-3-2018-नि0-42/05-टी0सी0-1

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2018

विषय- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिको को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्र सख्या-648/सचि0स0से0(519) दिनांक 15-09-2017 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधन के साथ वित्त (वेतन अयोग) अनुभाग-2, उतत्र प्रदेश शासन के संकल्प पत्र संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की लागू व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा संबन्धित कार्मिक के विकल्प की तिथि से संलग्न-1 में दी गई तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं।

(1) राज्य सरकार अथवा अन्य सेवाओं के ऐसे कार्मिक, जो उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में प्रतिनियुक्त पर तैनात है, उन्हें अपने संवर्ग के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(2) उ0प्र0 सचिवायल सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों के इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षिण राज्य सरकार की सहमति से ही किया जायेगा।

(3) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उक्त संस्था के कार्मिकों का वेतन निर्धारण राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-67/2016-वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर,2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उ0प्र0 सचिवायल सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृध्दि, महंगाई भत्ता, राज्य कर्मचारियों की भांति अनुमन्य होगा।

(5) उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों के लिए लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था में 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की सेवा पर क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनाये रखा जाये कि इसकी अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवाओं के परीक्षण का वही मानक होगा, जैसे कि राज्य कर्मचारियों के लिए अपनाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों के कार्य कुशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वों के निर्वहन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नही लेते है, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्मिको, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नही करते है आगे वार्षिक वेतन वृध्दियाँ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भांति व्यवस्था लागू होगी।

(7) उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में शासनादेश जारी होने की दिनांक से रिक्त पदों पर भर्ती तथा पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

(8) ऐसे पद/संवर्ग, जिनके वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी,2016 के बाद एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन लेने का चयन करें अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।

(9) उ0प्र0 सचिवायल सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा महंगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी,2017 से नकद किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर,2016 तक के देय अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-66/दस-2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन (दो प्रतियों में)।
(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in